

कार्यालय जिला कलेक्टर एवम् जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

www.jaipur.rajasthan.in

क्रमांक:-सहायता/अग्नि/बजट/20-21(8)/1839

दिनांक: 1.7.2021

संशोधित प्रशासनिक स्वीकृति

उपखण्ड अधिकारी, कोटपूतली के पत्रांक 594 दि. 18.3.2021 द्वारा प्राप्त अभिशंषा/स्वीकृति के अनुसार उनके उपखण्ड क्षेत्र में आकाशीय बिजली गिरने से पशुओं की क्षति, कच्चे घर, कपड़े बिस्तर, घरेलू सामान की क्षति कारित हो गई थी। प्रभावित परिवार को तत्काल सहायता स्वीकृत करने हेतु नीचे अंकितानुसार सहायता राशि बजट सीमा के अधीन आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग राजस्थान के आदेश क्रमांक 32-7/2014-एन डी एम. 1 दि. 8.4.15 में प्रदत्त दिशा निर्देशों के अनुसरण में भुगतान करने की स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान जरिये आदेश क्रमांक सहायता/अग्नि/बजट/20-21(8)/1224-31 दि. 31.3.21 द्वारा जारी की गई थी, किन्तु वित्तीय वर्ष समाप्ति के कारण उक्त स्वीकृति के अधीन बनाया गया बिल कोषाधिकारी, जयपुर शहर द्वारा पारित नहीं करने के कारण बजट राशि राज्य सरकार को समर्पित की जा चुकी है तथा उपरोक्त अंकित स्वीकृति के अधीन भुगतान न होने की पुष्टि भी की जा चुकी है। तहसीलदार, पावटा के पत्रांक भू.अ./21/1602 दि. 25.6.2021 द्वारा संबंधित अग्निपीडित परिवार को सहायता राशि दिये जाने के संदर्भ में पुनः लिखा गया है, अतः पूर्व में जारी स्वीकृति आदेश क्रमांक 1224-31 दिनांक 31.3.21 को निरस्त करते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में भुगतान करने की संशोधित स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती है।

क्र. सं.	अग्निकाण्ड तिथि	अग्निकाण्ड प्रभावित का नाम व पता	स्वीकृत राशि							बैंक का नाम	खाता संख्या	IFSC Coad
			कच्चा घर	पशु हानि	कपड़े बिस्तर	घरेलू सामान	CF 75%	SF 25%	Total			
1	4.1.21	प्रहलाद/साधूराम मीणा नि. बुचारा तह. पावटा	2100 (पशु बाड़ा)	60000 (भैंस-1)	0	0	46575	15525	62100	Central Bank of India	3902172179	CBIN0280431
		योग	2100	60000	0	0	46575	15525	62100			

(अक्षरे रुपये बासठ हजार एक सौ मात्र)

राशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2021-22 में निम्नांकित बजट मद से किया जावेगा :-

मांग संख्या-34

2245-प्राकृतिक विपत्ती के कारण राहत

01-सूखा

800- अन्य व्यय

(03)-राहत कार्यों पर व्यय

[02]-अग्नि सहायता

12-सहायतार्थ अनुदान (आयोजना भिन्न)

- राशि का व्यय सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों तथा इस कार्यालय द्वारा समय समय पर जारी किये गये दिशा निर्देशों के अनुसार किया जावेगा।
- उपरोक्त अंकित प्रभावित सीमान्त/लघु कृषक होने के कारण पशुधन की क्षति सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणिकरण के आधार पर सहायता राशि की स्वीकृति प्रदान की गई है।
- उपरोक्त प्रभावित पशुपालकों द्वारा पशुधन की हानि पर नवीन पशु कय करने का प्रमाणिकरण किया गया है।
- राशि का भुगतान संबंधित तहसीलदार द्वारा किया जावेगा। यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

क्रमांक:-सम/1840-46

प्रतिलिपि:-

- महालेखाकार (लेखा एवं हक) राजस्थान, जयपुर
- वित्तीय सलाहकार, आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग राज. जयपुर।
- कोषाधिकारी जयपुर शहर/ग्रामीण/उपकोषाधिकारी, कोटपूतली
- उपखण्ड अधिकारी, कोटपूतली
- तहसीलदार, पावटा
- संबंधित

अति. जिला मजिस्ट्रेट,

नगर-दक्षिण, जयपुर

दिनांक: 1.7.2021

अति. जिला मजिस्ट्रेट,

नगर-दक्षिण, जयपुर